



जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक

649

बैंक/कम्पनी के बंधककर्ता अर्थात्/सहअर्थात्/गारंटर है। अग्रार्थीनाम द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से ऋण खाता संख्या PL19554/LAPTNK202403175 से दिनांक 28.03.2024 से 4,00,000/रुपये (अक्षरें चार लाख रुपये मात्र) का ऋण उपलब्ध कराया गया था व अग्रार्थी/अर्थात्, जमानतदारों द्वारा प्राप्त किये गये उक्त ऋण की सुविधा के एवज में बैंक/कम्पनी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है कि अग्रार्थीनाम, Securities Interest Act 2002 के तहत पेश हुआ जो वर्ज रजिस्टर किया गया।

प्रार्थी बैंक/कम्पनी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 The Securisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of बैंक/कम्पनी के बंधककर्ता अर्थात्/सहअर्थात्/गारंटर है। अग्रार्थीनाम द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से ऋण खाता संख्या PL19554/LAPTNK202403175 से दिनांक 28.03.2024 से 4,00,000/रुपये (अक्षरें चार लाख रुपये मात्र) का ऋण उपलब्ध कराया गया था व अग्रार्थी/अर्थात्, जमानतदारों द्वारा प्राप्त किये गये उक्त ऋण की सुविधा के एवज में बैंक/कम्पनी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है कि अग्रार्थीनाम, Securities Interest Act 2002 के तहत पेश हुआ जो वर्ज रजिस्टर किया गया।

आदेश दिनांक 04.06.2026

प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 14 सिक्युरिटी इंटरेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एक्ट 2002

अर्थात्/सहअर्थात्/जमानती

- 1- Hanuman Meena S/O Soram Meena Add-1-R/o 26, Village Mandaliya, Post Suthda, Th. Uniyara, Dist. Tonk. Raj. 304024
- 2- Jagdish Devi W/O Hanuman Meena R/o 26, Village Mandaliya, Post Panchayat Suthda, Panchayat Samiti Uniyara, Dist. Tonk. Raj. 304024
- 3- Paras Meena S/O Hanuman Ram R/o 26, Village Mandaliya, Post Suthda, Th. Uniyara, Dist. Tonk. Raj. 304024
- 4- Manchita Meena W/O Paras Meena R/o Village Mandaliya, Post Suthda, Th. Uniyara, Dist. Tonk. Raj. 304024
- 5- Ram Sagar Meena S/O Shankar Lal Meena R/o Ramjan Ganj, Ruppura, Th. Uniyara, Dist. Tonk. Raj. 304024

बनाम

CFM Asset Reconstruction Pvt. Ltd. Reg. Office A/1003, West Gate, Near YMCA Club, Sur No. 8315/13 S.G. Highway, Makraba, Ahmadabad. Gujrat. ...प्रार्थी (प्रतिभूत लेनदार)

51/2026 15.05.2026

प्रकल्प संख्या  
प्रतिदि दिनांक

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट टोंक  
(पीठाधीन अधिकारी टीना जर्जी, आई.ए.एस.)





का  
का  
(टीना जरी)

ह

आदेश आज दिनांक 04.06.2026 को खूले न्यायालय में सुनाया गया।

संबंधित बैंक/कम्पनी द्वारा वहन किया जाएगा।  
अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनभत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों से देय है जो  
सूईया कराने हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावे। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिवाने हेतु  
कर्मचारी व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिन्ना पुलिस अधीक्षक, टांक को पर्याप्त पुलिस जांचा  
सक्षम न्यायालय का स्थगान आदेश न हो। वहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वकल  
पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि वहन रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी  
प्राधान्यों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्मलवाया जावे। आदेश की  
फाईनल प्रोसेस एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिविल प्रोसेस एण्ड प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग ऑफ  
पक्ष में वहन रखी गई सम्पत्ति को ही सिविल प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग ऑफ  
निर्णय प्रति तहसीलदार उनीयारा को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के

उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक/कम्पनी का होगा।  
है, यदि नियमों के अन्वयार किसी प्राधिकार/प्राधान्य की पालना नहीं की गई है तो सम्पत्ति

2. आदेश प्राधिकृत अधिकारी के बाध्य पक्ष एवं पक्ष दस्तावेजों के आधार पर दिये जा रहे  
है तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करावे।

1. वहन श्रद्धा सम्पत्ति का कब्जा लेकर सम्मलवाते वकल यदि नियमानुसार आक्षेप प्राप्त होता  
को सम्मलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं :  
पक्ष के आधार पर प्राधान्य पक्ष स्वीकार किया जाता है तथा वहन श्रद्धा सम्पत्ति को प्रार्थी  
आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विवेचन कर उनके द्वारा दिये गये बाध्य  
नियमों के अन्वयार सम्पत्ति कायवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगान  
प्राधिकृत अधिकारी ने प्राधान्य पक्ष के साथ इस आधार का बाध्य पक्ष प्रेषण किया कि

in his opinion, be necessary.  
cause to be taken such steps and use or cause to be used, such force, as may,  
(1) the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate may take or  
(2) For the purpose of securing compliance with the provisions of sub-section  
(b) Forward such assets and documents to the secured creditor.  
(a) Take possession of such asset and documents relating thereto, and  
District Magistrate shall, on such request being made to him-  
thereof, and the Chief Metropolitan Magistrate or, as the case may be, the